

क्रमांक F61(567)SSAAT/NIRDPR/TOT/SAU/RP/2026-27/

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में प्रासांगिक ई-मेल के द्वारा NIRDPR हैदराबाद की ओर से दिनांक 1 जुलाई, 2026 से प्रारंभ हो रही VB-GRAM G योजना के विभिन्न प्रावधानों तथा उक्त योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्य के सामाजिक अंकेक्षण की निर्धारित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दिये जाने हेतु सोसायटी के अधीन कार्यरत/एमपेनलड ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के क्षमता संवर्धन हेतु दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 29.06.2026 से 30.06.2026 तक संभागीय मुख्यालय पर जिला परिषद द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण स्थल पर एवं जयपुर संभाग के जिलों का बिडला इन्स्टीट्यूट ऑफ साईटिफिक रिसर्च स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण सहयोगी लगाया जाता है।

क्र. सं.	संभाग	जिला	मुख्य प्रशिक्षक	प्रशिक्षण सहयोगी
1.	अजमेर	नागोर, टोंक	श्री इकबालुदीन (SRP) श्री अखिलेश पारिक (DRP)	श्री अविनाश खाण्डेकर (DRP)
2.	बीकानेर	चुरू एवं बीकानेर	श्री नन्द लाल शर्मा (DRP) श्री मुकेश पुजारी (DRP)	श्रीमती इमरता कुमारी (DRP)
3.	जयपुर	अलवर	श्रीमती सोनिया साहु (SRP) श्री बलराम (DRP)	श्री राजकुमार निमेश (DRP)
4.	जोधपुर	पाली एवं जैसलमेर	श्री अश्वनी कुमार (DRP) श्री राकेश भार्गव (SRP)	श्री अब्दुल हमिद (DRP)
5.	उदयपुर	उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़	श्री सोना राम (DRP) श्री शाहिल देशवाली (DRP)	श्री इकबाल खान कायमखानी (DRP)

उपरोक्त प्रशिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि NIRDPR हैदराबाद द्वारा जारी की गई एस.ओ.पी. के अनुसार निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रशिक्षण संपन्न करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रशिक्षण की रिपोर्ट लिखित में प्रशिक्षण प्रभारी को मुख्यालय पर प्रेषित करेंगे।

(रतन लाल वर्मा)
मुख्यलेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष

RajKaj Ref No.:
22997685



Digitally signed by RATAN
LAL VERMA
Designation: Chief
Accounts Officer
Date: 2026-06-23 17:03:19
IST

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर।
2. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, अजमेर, नागौर, टोक, बीकानेर, चुरु, हनुमानगढ, श्री गंगानगर, जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ।
3. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर, नागौर, टोक, बीकानेर, चुरु, हनुमानगढ, श्री गंगानगर, जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ।
5. परियोजना अधिकारी, (लेखा) जिला परिषद, अजमेर, नागौर, टोक, बीकानेर, चुरु, हनुमानगढ, श्री गंगानगर, जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ।
6. सामाजिक विकास विशेषज्ञ, SSAAT।
7. संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT।
8. संबंधित जिला संसाधन व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है की उक्त प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करे।
9. प्रोग्रामर, SSAAT।
10. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय, SSAAT।
11. रक्षित पत्रावली

मुख्यलेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष

